द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 8वीं रिपोर्ट

आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध उपाय

* अधिकांश मामलों में ~~आतंकवादी~~ आतंकवादी कार्यकलापों को पर्याप्त सहायता की अपेक्षा होती है। —
  जैसे ↳ उग्रवादी विचारधारा का प्रचार
  ↳ उग्रवादी कार्यवाही के लिए अनुयायियों की संख्या बढ़ाना
  ↳ शस्त्रों और विस्फोटकों की प्राप्ति और उनके प्रयोग में प्रशिक्षण।
  ↳ उग्रवादी कार्रवाई की आयोजना और निष्पादन आदि।

* निधिकरण

↳ उग्रवादी विचारधारा के समर्थक अपनी आय से

↳ अपराध की आय की लांडिंग द्वारा

↳ मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार, तस्करी आदि के द्वारा

↳ मुद्रा की जालसाजी द्वारा

↳ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रदान की गई सुविधा का प्रयोग करके

↳ धनराशि के अंतरण (हवाला जैसे) के माध्यमों से

* अंतर्राष्ट्रीय रूप में ~~मनी~~ लांडिंग-रोधी और आतंकवादी-वित्त रोधी प्रणाली का विलय करने की प्रवृति रही है। आतंकवादी कार्यकलापों के वित्तपोषण से संबद्ध मनी-लॉडिंग से संबंधित कार्यकलापों को दो विशेषताएं अलग करती हैं जिनका आतंकवादी वित्तरोधी प्रणाली में अपनाई जाने वाली कार्यनीति की प्रकृति पर प्रभाव होता है। —

(क). ~~[illegible]~~ मनी लॉडिंग के मामले में गैर कानूनी गतिविधियों से धारण और कानूनी परिसंपत्तियों (चल-अचल) में उनके परिवर्तन से समाप्त होता है। वित्त पोषण कानूनी गैरकानूनी रूप से हो सकता है पराकाष्ठा पर तब पहुंचता है जब राशि आतंकी वर्ग तक पहुंच पाता है यह जांच की सीमा की व्यापकता बनाता है।

GENERAL STUDIES HINDI

(ख) अगर गैर कानूनी कार्यकलापों /अपराध की आय की लॉडिंग होगी है प्रवर्तन प्राधिकारी कार्योत्तर जाँच के आधार पर प्रभाव को व्यर्थ कर सकते है।

→ इससे पता चलता है कि कानूनी प्रवर्तन और जाँच प्रणाली को मनीलाडिंग प्रचालनों की तुलना में समयसीमा क्षेत्र मे व्यापक होना होगा। कार्यकलापों को रोकने पर अधिक बल।

* आंतकवादी कार्यकलापों के वित्तीय पहलुओं से निपटने की कार्यनीति के मुख्य घटकों मे निम्न शामिल है:

(1) परिसंपत्ति वसूली और बाधा की शक्तियाँ

(2) आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध कानूनी दंड

(3) वित्तीय संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा परिश्रमपूर्ण ग्राहक पहचान कार्यक्रम और रिकार्ड रखने की मानक कार्यविधियाँ अपनाना

(4) व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा संदिग्ध-वित्तीय कार्यकलापों की सुचना देना।

(5) मनी-लॉडिंग रोधी उपाय

(6) शामिल एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण और समन्वय कार्यतंत्र

(7) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

* संयुक्त राज्य अमेरीका मे मनी-लॉडिंग आय

11 sept 2001 के पूर्व किए गए उपाय

11 सितम्बर 2001 के बाद किए गये उपाय

↳ 1986 के मनी-लॉडिंग नियंत्रण अधिनियम

↳ धारा 1956 → मौद्रिक लिखतों की लॉडिंग से संबंधित

↳ धारा 1957 → गैर-कानूनी कार्यकलापों से प्राप्त संपत्ति मे मौद्रिक लेन-देन मे लिप्त रहने से संबंधित।

11 सितम्बर 2001 के बाद के उपाय

→ आतंकवाद को रोकने और बाधा डालने के लिए वर्ष 2001 मे एकजुट और सुदृढ़ीकरण (यूएसए पेट्रियॉट) अधिनियम बनाया।

↳ धारा 201 → आतंकवाद से संबद्ध तार, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण का अवरोधन

↳ आतंकवाद समर्थन देश को नामोदिष्ट किया गया।

(धारा 311) → घरेलू वित्तीय संस्थाओं और एजेंसियो से "विशेष उपाय" करने की अपेक्षा के लिए यह पता लगाने पर प्राधिकृत है कि

(a) संयुक्त राष्ट्र के बाहर क्षेत्राधिकार

(b) संयुक्त राष्ट्र से बाहर वित्तीय संस्था

(c) संयुक्त राष्ट्र क्षेत्राधिकार के बाहर लेन-देन

धारा 312 → ~~विदेशी~~ वित्तीय संस्थाओं या बैंको से पता लगाने के लिए नियंत्रण स्थापित करने और सूचित करने की अपेक्षा करती है

धारा 313 → संयुक्त राष्ट्र के बैंको, ~~समान~~ विदेशी बैंको और संयुक्त राष्ट्र मे प्रचालनरत बैंको/शाखाओं एवं अन्य बैंको के लिए समतुल्य लेखा रखने पर निषेध।

धारा 315 → सरकारी अधिकारी आदि के घूंस को अपराधों की सूची मे शामिल करती है।

→ यूएसपी धारा 156 हवाला के माध्यम से मनी लांड्रिंग को अपराध ठहराती है।

इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग "अपराध की आय" से संबंधित कार्यकलापों/अपराधों तक सीमित है। "अनुसूचित अपराध" को अधिनियम की अनुसूची ~~की धारा 2(1)(य) मे परिभाषित किया गया है~~ के भाग-क अथवा अधिनियम की अनुसूची के भाग-ख के अधीन निर्दिष्ट अपराधों का अर्थ देने के लिए धारा (य) मे परिभाषित किया गया है। अगर ऐसे अपराध मे शामिल कुल मूल्य 30 लाख रुपये या उससे अधिक हो।

→ अनुसूची के भाग-ख मे 5 पैराग्राफ विहित है। जो भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम 1959, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, अनैतिक कार्य अधिनियम 1956, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों से संबंधित है।

✱ अधिनियम की प्रभावोत्पादकता सीमित करता है क्योंकि —

→ अनुसूची मे सूचीबद्ध अपराधों मे धोखाधड़ी, आतंकवादी वित्त पोषण सहित आतंकवाद, मानवों का अवैध व्यापार, चुराई गई और अन्य वस्तुओं का व्यापार, धोखाधड़ी, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी, सामग्रियों की जाली और चोरी; तस्करी ~~मनी लॉन्ड्रिंग~~ और भीतरी व्यापार तथा पूंजी बाजार की जालसाजी आदि सूचीबद्ध नहीं है।

→ अनैतिक कार्य निवारण अधिनियम-1956 जो वेश्यावृत्ति की आय एवं वेश्यालय रखने से संबद्ध अपराध को इसमे शामिल नहीं मानता एवं PMLA द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के दौर से हटा देता है।

- यूनाइटेड किंगडम ने भी सुदृढ़ मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी प्रणाली स्थापित की है।
(1) मनी-लॉन्ड्रिंग को गैर-कानूनी करार देते हुए कानूनी उपबंध
(2) उद्योग द्वारा वित्तीय सुरक्षोपायों का अनुप्रयोग

↳ अपराध अधिनियम, 2002 की कार्यवाही (पोका) सभी अपराधों की कार्यवाही केलिए संपूर्ण UK में लागू मनी-लाॅन्ड्रिंग के अपराध के सकल सेट की व्यवस्था करती है। इस प्रकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अलग से दर्शाना आवश्यक नहीं है कि गैर कानूनी धनराशि किसी विशेष किस्म के अपराध से प्राप्त की गई है।
↳ पोका में उन मामलों, जहाँ अपराधकर्ता को किसी कानून के अधीन सजा दी गई हो, में जब्ती आदेश करने के उपबंध भी है। किसी अपराध से प्राप्त लाभ के मूल्य को वापस करना भी अपेक्षित है।

- भारत में उपाय

→ मनी-लॉन्ड्रिंग निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा यथासंशोधन मनी-लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) में विहित है।
→ PMLA की धारा 2(त) के अनुसार मनी-लांड्रिंग का अर्थ उस अधिनियम की धारा 3 में किया गया अर्थ—
"जो कोई भी प्रत्यक्षतः [redacted] अप्रत्यक्षतः अपराध की आय से संबंधित किसी प्रक्रिया अथवा कार्यकलाप में लिप्त होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर उसमें पार्टी है या उसमें वास्तविक रूप से शामिल है और उसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा"

→ FIU-India मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय व सहयोग बनाती है
जैसे- 1996 मे गठित क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (REIC) अपने संबंधित क्षेत्रों मे आर्थिक अपराधों से निपटने वाली एक नोडल एजेंसी है।

REIC सम्पूर्ण देश भर मे 18 क्षेत्रीय केन्द्रों मे स्थित हैं और इसमें CBDT, CBEC, CBI, ED के नामोदिष्ट अधिकारी, क्षेत्र मे संघ व राज्य सरकारों के संबद्ध एजेंसियों के प्रमुख, RBI, SBI, कंपनी रजिस्ट्रार आदि शामिल हैं।

वित को रोकने के उपाय (भारत के संदर्भ में)

TADA (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act

→ इसके अधीन किसी आतंकवादी कार्यकलाप से प्राप्त संपत्ति धारित करना उन्हें आतंकवादी निधियों के माध्यम से अधिप्राप्त करना एक अपराध था। ऐसे संपत्ति को पुलिस अधीक्षक के पूर्वानुमोदन से जब्त अथवा कुर्की करने का अधिकार है। तथा कुर्की के 48 घंटे के भीतर न्यायालय को विधिवत सूचित करने की अपेक्षा थी।

पोटा (Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA))

→ पोटा के अधीन भी किसी आतंकवादी कार्यकलाप से प्राप्त संपत्ति धारित करना या उन्हें आतंकवादी निधियों के माध्यम से अधिप्राप्त करना एक अपराध था।

↳ पोटा ने आतंकवाद की आय धारित करना भी गैर-कानूनी बनाया। केन्द्र व राज्य सरकार के पास जब्त किए जाने योग्य होगी।

इसमे भी पुलिस अधीक्षक रैंक तक के आतंकवाद की आय से किसी संपत्ति को जब्त व कुर्की का अधिकार है इस मामले मे आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाता था।

↳ इसके अतिरिक्त जॉचकर्ता अधिकारी को पोस्टल ऑर्डर, ट्रेवलर्स चेक, बैंकर ड्राफ्ट और अन्य निर्दिष्ट मौद्रिक लिखतों सहित नकद राशि को जब्त और रोक रखने की शक्ति थी।

↳ 48 घंटे के अंदर नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करना था।

* "यूएलपीएक्ट"

↳ गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 भी जानबूझकर आतंकवादी कार्य करने से प्राप्त आतंकवादी निधियों के माध्यम से अधिप्राप्त संपत्ति धारित करने केलिए सजा की व्यवस्था करता है (धारा 21)।

↳ पोटा के समान ही कुर्की व जब्त की व्यवस्था

↳ किसी आतंकवादी संगठन केलिए निधियाँ जुटाना को भी अपराध माना गया (धारा 40)।

↳ जॉचकर्ता अधिकारी को जिस राज्य मे ऐसी संपत्ति है उस राज्य के पुलिस महानिदेशक के पूर्वानुमोदन से संपत्ति की जब्ती व कुर्की केलिए प्राधिकृत है।

GENERAL STUDIES HINDI

वित्तीय आसूचना यूनिट

PMLA के दिनांक 1 जुलाई 2005 से लागू होने के बाद, अधिनियम मे यथा संकल्पित वित्तीय लेन-देन के संबंध में रिपोर्टिंग प्रणाली भी लागू हुई। इससे भारतीय वित्तीय आसूचना यूनिट का सृजन हुआ।

↳ विनियमों में निर्धारित लेन देनों के रिकार्ड का रख रखाव
↳ निर्धारित प्रारूप मे एफआईयू-इंडिया को सूचना प्रस्तुत करना और निर्धारित तरीके से ग्राहकों का सत्यापन शामिल है।
↳ FIU-India को विदेशी मुद्रा मे 10 लाख रुपए अथवा उसके समतुल्य के नकद लेन-देनों से संबंधित मासिक सूचना।
↳ उन लेन-देनो, जो जटिल प्रतीत होते, संदेहास्पद।

→ FIU-India इन रिपोर्टों का विश्लेषण करती है और सूचना का प्रचार उपयुक्त/आसूचना एजेंसियों को करती है। जैसे- रॉ, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, CBDT, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, CBI, RBI, SEBI, IRDA।

इस समय → निजी विदेशी बैंक, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण सहित सभी बैंकिंग कंपनियाँ, बीमा कंपनियों, किराया-खरीद, कंपनी, चिट-फंडों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा "सेबी" अधिनियम की धारा 12 मे उल्लिखित मध्यस्थ कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाये रिपोर्टिंग संगठन है।

→ भ्रष्टाचार का निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 से 10 में अपराधों को सूचीबद्ध करता है परंतु धारा 13 के अपराधों को छोड़ देता है, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित है। *

* मनी लाॅड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की अधिनियम की धारा 5(1) उपयुक्त प्राधिकारी को अंतिम रूप से कुर्की का अधिकार देती है जो "अपराध की आय" से संबंध हो बशर्ते संपत्ति के कब्जाधारी पर अनुसूचित अपराध (अनुसूची के भाग 'क' और भाग ख) करने का आरोप लगाया गया है।

→ PMLA के अधीन कुर्की तभी की जा सकती है जब आपराधिक कार्यविधि संहिता की धारा 173 के अधीन कार्यवाही पूरी हो गई हो।

→ अपराधिक कार्यविधि संहिता की धारा 173 पुलिस अधिकारी पर जाँच पूरा होने पर रिपोर्ट दाखिल करने का अनिवार्य दायित्व देती है। (जो मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा)

GENERAL STUDIES HINDI

→ खोज और जब्ती आदि अधिनियम की धारा 17(1) निदेशक को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को खोज एवं जब्ती की कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है, बशर्ते मनी लाॅड्रिंग अपराध की आय से संबद्ध हो।

→ PMLA के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गई है तब प्राधिकारियों से न्यायनिर्णायक के समक्ष 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत दाखिल करना अपेक्षित है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निर्णय लेगा कि यह संपत्ति मनी लाॅड्रिंग में शामिल है या नहीं।

11 सितम्बर 2001 की घटनाओं के परिणामस्वरूप अमेरिका मे "आतंकवाद वित्तपोषण प्रचालन अनुभाग (TOFA) का प्रचालन प्रारंभ करना था जो न केवल वित्तीय लेनदेन की पहचान और पता लगाने और उसे आतंकवादी कार्य करने के बाद संबद्ध करने का कार्य करता है। यह संभावित आतंकवादी कार्यकलापों अथवा आयोजना का पता लगाने के लिए भूतपूर्व अज्ञात आतंकवादी कक्षों की पहचान तथा संभावित आतंकी संयोग को रोकने हेतु वित्तीय सूचना का प्रयोग भी करती है।

भारत मे यूएपीए (आज प्रचलनाधीन आतंकवादी-रोधी कानून मे) मे जब्त तक संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण से संबंधित उपबंध (धारा 24 से 34) "आतंकवाद की आय" के मामले मे ही लागू है।

मनी-लाडिंग का निवारण (लेन-देन की प्रकृति और मूल्य के रिकार्ड का रख-रखाव, रखरखाव की कार्य विधि और तरीके तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थो के ग्राहको की पहचान का सत्यापन और रिकार्ड का रख-रखाव) नियमावली, 2005 को मई 2007 मे संशोधित किया गया ताकि FIU-India को ऐसे लेन-देन की सूचना को शामिल किया जाए, जो संदेह का उचित आधार है।

GENERAL STUDIES HINDI

मुद्रा की तस्करी, जालसाजी, मादक द्रव्यों व अवैध व्यापार, धोखाधड़ी, हवाला के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषित ~~जारी~~ जारी है, वहीं ऑनलाइन भुगतान, व्यापार आधारित लांड्रिंग, दान दुरुपयोग, झूठे दावे आदि वर्तमान मे केन्द्र बिन्दु बन गई है। इससे निपटने केलिए एजेंसियों मे बहुआयामी जाँच दल तैयार करने की आवश्यकता है मंत्रालय, अधिकारी एवं जाँच दल के बीच उचित सहयोग व समन्वय की आवश्यकता है।

GENERAL STUDIES HINDI